उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
पत्रांकः 241 / व0नि0स0–स0 / चि0स्वा0प0क0वि0 / 2023
देहरादूनः दिनांक– 14.08.2023

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप विदित है की वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही डेंगू रोग के प्रसारण की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान में राज्य के जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनिताल एवं पौड़ी गढ़वाल से डेंगू रोगी रिपोर्ट हुये हैं। इसी क्रम में आगामी माहों में डेंगू रोग को महामारी का रूप लेने से रोकने के लिये निम्न कार्यवाहियां की जानी अनिवार्य है–

1. जनपदों के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में डेंगू रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श पर भर्ती किये जाने हेतु बेड आरक्षित रखें जायें जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ायें जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 191 / व0नि0स0–स0 / चि0स्वा0प0क0वि0 / 2023, दिनांक 14.06.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में डेंगू नोडल अधिकारी नामित किये जायें तथा उनके द्वारा चिकित्सालयों में डेंगू रोगियों के चिकित्सकीय प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुचारू व दुरूस्त रखा जाये।
3. चिकित्सालयों में डेंगू रोगी की सुविधा के लिये जगह–जगह फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से ओ0पी0डी0 कक्ष संख्या, जांच सुविधा, औषधि केंद्र एवं डेंगू वार्ड की सम्पूर्ण जानकारी दर्शायी जाये।
4. डेंगू पीडित गम्भीर रोगियों (DHF/DSS) हेतु ब्लड बेंकों में Platelets की उपलब्धता बढाने हेतु समस्त कार्यवाहिया सुनिश्चित की जायें जिससे आवश्यकता पडने पर Platelets की कमी ना होने पाये।
5. अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 212 / व0नि0स0–स0 / चि0स्वा0प0क0वि0 / 2023, दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारियों द्वारा डेंगू रोग का उपचार प्रदान कर रहे समस्त चिकित्सालयों में डेंगू रोग के समुचित प्रबंधन की व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा किये जाने हेतु भ्रमण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों डेंगू लक्षणों से ग्रसित एवं पुष्टिकृत डेंगू रोगियों की दैनिक सूचना से सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के डेंगू अनुभाग को नियमित रूप से भेजी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

14/8/2023
(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी, एन0वी0बी0डी0सी0पी0।
7. सम्बन्धित अनुभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

14/8/2023
सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

Scanned with CamScann